JPD/Rules-1299

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

CIN: U40109RJ2000SGC016486
(A Government of Rajasthan Undertaking)
"प्रभारिम शशि सूर्ययो:" Regd. Office: Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, Jaipur 302005
Tel/Fax: +91-141-2740264 / Email: caoia@jvvnl.org / Website: http://energy.rajasthan.gov.in/jvvnl

No. JPD/CAO(IA)/AAO/Rules/F. 168/ D. 125 Jaipur, dated: - 13/05/2020

आदेश

विषय:- विज्ञापन व्यय विपत्रों की भुगतान प्रक्रिया।

निगम में विज्ञापन बिलों के भुगतान की वर्तमान प्रक्रिया के तहत सजावटी, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सचिव (प्रशासन) व मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा प्रेषित विज्ञापनों व सूचना आदि का निगम स्तर पर नियमानुसार समाचार पत्रों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशन/प्रसारण करवाया जाता है। इसके उपरान्त प्राप्त बिलों की आवश्यक जांच करके, निदेशक (वित्त) की वित्तीय संस्तुती उपरान्त प्रबन्ध निदेशक महोदय से भुगतान की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त, उप–सचिव (साप्रवि) को भुगतान की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जाता है। जिनके द्वारा लेखाधिकारी (EA) की पूर्व जांच के उपरान्त लेखाधिकारी (रोकड़) के द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

जयपुर डिस्कॉम के अन्य सभी सर्किलों से प्रकाशन हेतु प्राप्त होने वाले निविदा आदि विज्ञापनों का निगम स्तर पर नियमानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जाता है। इसके उपरान्त समाचार पत्रों से प्राप्त विपत्रों की जांच करके निदेशक (वित्त) की वित्तीय संस्तुती उपरान्त प्रबन्ध निदेशक महोदय से भुगतान की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त मूल विपत्र, स्वीकृति की प्रति सहित संबंधित सर्किलों को भुगतान की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है और संबंधित सर्किल द्वारा ही इनका भुगतान किया जा रहा है।

वर्तमान मे सजावटी व निविदा आदि विज्ञापनों के बिलों के भुगतान में होने वाले विलम्ब को देखते हुए समय पर बिलों के भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक महोदय के निर्देशानुसार जयपुर डिस्कॉम के सभी सर्किलों व निगम स्तर से जारी किये जाने वाले समस्त विज्ञापनों के बिलों के भुगतान की व्यवस्था को, सर्किल स्तर पर भुगतान में हो रहे अनावश्यक विलम्ब एवं निरन्तर पुनर्रीक्षण की वजह से केन्द्रीकृत कर वर्तमान प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है। इसके अनुसार समस्त विज्ञापन बिलों की जनसम्पर्क अनुभाग स्तर व सहायक लेखाधिकारी (साप्रवि) के स्तर पर जांच मय आवश्यक बजट प्रावधान की सुनिश्चित्ता के उपरान्त विज्ञापन बिलों के भुगतान की सक्षम स्तर से अनुमति हेतु सचिव (प्रशासन) के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगें एवं निदेशक (वित्त) की वित्तीय संस्तुती उपरान्त प्रबन्ध निदेशक महोदय की स्वीकृतिपरान्त उप–सचिव (साप्रवि) के माध्यम से लेखाधिकारी (EA) को पूर्व अंकेक्षण एवं पास करने हेतु प्रेषित किए जाएंगे एवं तद्पुरान्त लेखाधिकारी (रोकड़) के द्वारा भुगतान किया जायेगा। लेखाधिकारी (रोकड़) द्वारा भुगतान की सुचना सम्बन्धित समाचार पत्र/मीडिया संस्था एवं उप–सचिव (सा.प्र.वि) को पहले से जारी आदेश दिनांक 01.05.2020 की अनुपालना में रजिस्टर्ड मेल आई डी एवं एस. एम. एस. द्वारा प्रेषित करेंगे।

लेखाधिकारी (रोकड़) भुगतान उपरान्त ए.टी.डी. संबंधित वृत लेखाधिकारी कार्यालयों को प्रेषित कर दी जायेगी, जो कि अपने स्तर पर इन ए.टी.डी का संबंधित लेखाशीर्षक में लेखाकिंत करेंगें। विज्ञापन बजट शीर्षक में प्रावधान जो कि अभी तक विभिन्न वृतों/कार्यालयों को उपलब्ध करवाया जा रहा है, को नवीन व्यवस्था के तहत, सचिव (प्रशासन) के स्तर पर केन्द्रीकृत उपलब्ध करवा दिया जायेगा। इससे वर्तमान में विज्ञापन बिलों के भुगतान में सर्किल स्तर पर हो रहे अनावश्यक विलम्ब को दूर करते हुए इस संवेदनशील मसले पर उचित निगरानी हो सकेगी।

उपरोक्त नवीन/संशोधित भुगतान व्यवस्था की त्वरित अनुपालना अपेक्षित है।

आज्ञा से

13/05/2020

(डॉ. आर. पी. गुप्ता)
मुख्य लेखाधिकारी (आं. अं.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ अग्रेषित है:–

1. मुख्य लेखा नियंत्रक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता / संभागीय मुख्य अभियन्ता (   ), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
3. उप मुख्य अभियन्ता (   ), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी (आं. अं. /रां. वं एवं बि.) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
6. सचिव (प्रशासन)/ कम्पनी सचिव , जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (   ), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ...।
9. अधीक्षण अभियन्ता (   ), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ।
10. लेखाधिकरी /सहायक लेखाधिकारी (   ), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,..................।
11. निजी सहायक महालेखाकार (E & R Sector Audit), कार्यालय महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
12. निजी सहायक, अध्यक्ष, जविविनिलि (डिस्कॉम्स)/प्रबन्ध निर्देशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
13. निजी सहायक, निर्देशक (वित्त/तकनीकी), जविविनिलि, जयपुर।

(यशवंत जोनवाल)
सहायक लेखाधिकारी (नियम)